-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बबेरु पुलिस द्वारा व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या मामलें में दूसरे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या मामलें में दूसरे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 06.04.2025 को थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम सिमौनी में दो पक्षों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर आपसी विवाद में रहीम बक्श पुत्र करीम को लाठी-डण्डे से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना बबेरु में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मामलें में एक अभियुक्त जाकिर उर्फ जग्गा पुत्र रफीवा निवासी सिमौनी थाना बबेरु जनपद बांदा को दिनांक 08.04.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है । इसी क्रम में आज दिनांक 10.04.2025 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा घटना में वांछित दूसरे अभियुक्त साकिर पुत्र रफीवा को ग्राम सिमौनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया।

बरामदगी-

- 01 अदद् डण्डा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. साकिर उर्फ जग्गा पुत्र रफीवा निवासी सिमौनी थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 117/25 धारा 105/115(2)/352 बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार
2. कां0 अभिनव सिंह
3. कां0 सुखबीर सिंह